5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

142

न्यायलय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- /2015-16 निगरानी निग - 491 - II-16

दिनांक 4-3-16 को श्री राजीव रघुवंशी अभि० द्वारा प्रस्तुत। 4-3-16

Rajeev Raghuvanshi Adv 4-3-16 SO

खेमचन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री पातीराम उम्र 62 वर्ष, व्यवसाय-व्यापार, निवासी- ग्राम कालामढ़, तहसील- बैराढ़, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)

......निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2011 जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) ने प्रकरण क्रमांक- 49/96-97/बी-121 में पारित किया गया।

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के तथ्य-

4/3/2016

1- यहकि, निगरानीकर्ता भूमि सर्वे क्रमांक- 633/2, स्थित- ग्राम भदेरा बदोबस्त के दौरान परिवर्तित भूमि सर्वे क्रमांक- 862 ग्राम कालामढ़, तहसील बैराढ़ जिला शिवपुरी कुल क्षेत्रफल 60 × 60 = 3600 वर्गफीट (आबादी) भूमि पर प्रत्यर्थी शासन की जानकारी में दिनांक 01.04.1977 से अधिपत्यधारी होकर स्वामी की हैसियत से उक्त भूमि का उपयोग-उपभोग कर रहा है तथा उक्त भूमि पर कमरा बनाकर निवासरत है।

2- यहकि, निगरानीकर्ता ने ग्राम भदेरा के उक्त भूमि सर्वे क्रमांक- 633/2 वर्तमान में बन्दोबस्त पश्चात् परिवर्तित सर्वे क्रमांक- 862 ग्राम कालामढ़ पर वर्ष 1977 से आधिपत्यधारी होने के आधार पर उक्त भूमि का स्वामी की हैसियत से व्यवस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पोहरी जिला शिवपुरी के समक्ष दिनांक 01.11.1995 को प्रस्तुत किया, जोकि प्रकरण क्रमांक- 49/96-97/बी-121 पर दर्ज हुआ।

2

A

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./791/तीन/2016 जिला- शिवपुरी

खेमचन्द विरूध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 49/1996-97/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 11/07/2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	